RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-02
Issue-07
July-2017

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com

कन्या भ्रूण हत्या–कारण व निदान

ममता कुमारी

शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, बी0एन0मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

सभ्यता के विकासक्रम में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। यह व्यवस्था तत्कालीन प्राकृतिक दशाओं एवं उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप था। आगे चलकर विश्व में दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हुई – पुरुष प्रधान एवं स्त्री प्रधान समाज। वर्तमान संदर्भ में विश्व के अधिकांश देशों में पुरुष प्रधान व्यवस्था है। भारत में भी पुरुष प्रधान व्यवस्था है अपवाद स्वरुप खासी, गारों एवं नायर जनजाति समुदायों में स्त्री प्रधान व्यवस्था है। सम्भवतः लिंग भेद सामाजिक व्यवस्था का परम्परागत हिस्सा बन चुका है। परिवार रूपी यह सामाजिक भेदभाव कहीं न कहीं आगे जाकर हिंसा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पारिवारिक भेदभाव व हिंसा मूल रूप से समाजिक व्यवस्था का दर्पण हैं अर्थात् सामाजिक व्यवस्था जैसी होती है, वैसा ही परिवार का ढांचा! लिंग भेद किसी राष्ट्र, प्रान्त या क्षेत्र की समस्या न होकर यह मूलतः मानव समुदाय के भीतर मानव निर्मित सामाजिक समस्या है, जिसके निर्माण के लिए कहीं न कही पुरूष प्रधान समाज जिम्मेवार है।

लिंग निर्धारण की तकनीक का आरम्भ सन् 1970–1980 के दशक में प्रारम्भ हो गया था। विशेष रूप से पंजाब व हरियाणा राज्यों में इस प्रकार की तकनीक का सबसे अधिक दुरूपयोग हुआ और यह नारा दिया गया कि "लड़का अथवा लड़की 500 रुपये खर्च करो और 5 लाख रुपये बचाओ"।[1] केवल पंजाब राज्य में ही 1000 से अधिक संख्या में अल्ट्रासाउण्ड चिकित्सालय हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह कहा जाता है कि यहाँ पर जल आपूर्ति की अपेक्षा भ्रूण लिंग परीक्षण की सुविधा ज्यादा आसानी से प्राप्त हो जाती है।[2] भारत में सन् 1978 से 1982 के मध्य 78,000 कन्या भ्रूण हत्या हुई थी।[3] संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार सन् 1984 में अकेले मुम्बई शहर में 40,000 कन्या भ्रूण हत्या की गई थी।[4]

सेटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के द्वारा 1984 में कराए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि भारत में पिछले तीन दशक में 1 करोड़ 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही लिंग का पता लगा कर मार दिया गया।[5] गैर कानूनी ढंग से हर साल 20 लाख गर्भपात कराए जा रहे हैं। 25 हजार प्रसव कराने वालों में से केवल 2 हजार ही रजिस्टर्ड हैं। प्रसूताओं की 20 फीसदी मौतें असुरक्षित गर्भपात की वजह से होती हैं। **सेंटर फॉर सोशल रिसर्च** की डायरेक्टर रंजना कुमारी के अनुसार – "गर्भपात के लिए 20 सप्ताह की अवधि को बढ़ाया गया तो इसकी आड़ में कन्या भ्रूण हत्या और अधिक होने लगेगी क्योंकि तीन महीने में लिंग परीक्षण थोड़ा मुश्किल ही रहता है लेकिन इसके बाद लिंग का पता चलते ही लोग गर्भपात के लिए भ्रूण की खराब सेहत का बहाना करने लगेंगे।[6]

अन्य सरकारी संगठनों द्वारा किये गये आकलन के अनुसार गर्भधारण करने की आयु में प्रत्येक 1000 महिलाओं में से 260 से 400 तक महिलाएं गर्भपात कराती हैं। सामान्यतया यह माना गया है कि (एक) वैध गर्भपात के लिए दस से बारह अवैध गर्भपात होते हैं। इस बारे में **विश्व बैंक** द्वारा वर्ष 1996 में एक रिपोर्ट पेश की गयी थी जिसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 50000 अवैध गर्भपात होते है। इस तथ्य को इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने भी स्वीकार किया है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुका है। एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या का कारोबार 450 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इस प्रकार भारत में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 2 लाख गर्भपात किये जाते हैं इनमें से 67 लाख गर्भपात कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित हैं।[7]

भारत की मौजूदा जनगणना के अनुसार सन् 1961 से लेकर सन् 2011 के बीच 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात में निरन्तर विषमता नजर आ रही है। सन् 1961 में शिशु लिंगानुपात 976 था जो कि सन् 2001 में 927 तथा 2011 में 914 ही रह गया है।

बाल मरणशीलता का शिकार होती एक अन्य बालिका शिशु की हृदयविदारक कहानी इस प्रकार है – "नवजात बालिका शिशु की हत्या करने में माहिर एक दाई छोटे से स्टूल का एक पाया नवजात बालिका शिशु की गर्दन पर रखकर निर्दयतापूर्वक कहती है **"जा बिट्टो जा अपने भैया को भेज"**। नवजात बालिका शिशु की हत्या कर देने वाली यह कुप्रथा सम्पूर्ण मानव समाज को कलंकित करती है।"[8]

कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचार इस प्रकार है – "जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अपनी सार्थकता साबित करने के बावजूद देश में यह बुराई जारी है। देश मे बच्चों के लिए लिंग अनुपात की

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

विकृति को ठीक करना महज वर्तमान कानूनों को कड़ाई से लागू किये जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी जरूरी यह है कि हम अपने समाज में कन्या शिशु को किस नजर से देखते हैं।[9]

सरकार की काफी कोशिशों के बाद भी महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कन्या भ्रूण हत्या होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। केन्द्र सरकार जिन राज्यों में घटते लिंगानुपात को देख कर हरकत में आई है, वहाँ लड़के–लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर का एक महत्त्वपूर्ण कारण सामने आया है, शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होना। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार मार्च 2011 तक जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण करने वाले के विरुद्ध 805 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से केवल 55 मामलों पर ही कार्यवाही आगे बढ़ सकी यानि मात्र 6 फीसदी डॉक्टरों को ही PC&PNDT ACT -1994 के अन्तर्गत आरोपी बनाया गया। अन्य मामले पर्याप्त सबूत के अभाव में बंद कर दिए गए।[10]

ऐसा माना जाता है कि बदलते आधुनिक परिवेश में परम्परागत, रूढ़िवादी विचारधारा में बदलाव आया है, लेकिन वास्तविक रूप में समाज में लड़कियों के प्रति आज भी पक्षपातपूर्ण और संवेदनहीन व्यवहार ही किया जाता है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

1. अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी
2. समाज में स्त्रियों के प्रति असुरक्षित वातावरण
3. ईज्जत और अभिमान की भावना
4. बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा
5. पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था और अंधविश्वास
6. महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार और यौन शोषण
7. लिंग आधारित भेदभाव
8. ऑनर किलिंग
9. चिकित्सकों में असंवेदनशीलता
10. चिकित्सा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग
11. चिकित्सकीय पेशे का व्यवसायीकरण
12. गर्भस्थ शिशु के लिंग जॉच के लिए एम्निओसेन्टेसिस, कोरिओनिक विलस बायोप्सी और सर्वाधिक चर्चित तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी का अधिक इस्तेमाल।

भारतीय समाज में धार्मिक, नैतिक और विधिक दृष्टिकोण से कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध माना जाता है। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में भी उल्लेख किया गया है कि कन्या वध या कन्या भ्रूण हत्या **ब्रह्म हत्या** के समान है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है।[11]

विधिक दृष्टिकोण से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए निम्न अधिनियमों में विशेष प्रावधान किये गये हैं –

1. भारतीय दण्ड संहिता 1860
2. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994
3. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

(1) भारतीय दण्ड संहिता 1860

भारतीय दण्ड संहिता 1860 वह गर्भपात जो किसी स्त्री का जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भावनापूर्वक कारित नहीं किया जायेगा, ऐसा गर्भपात दण्डनीय अपराध है।[12] भले ही यह अपराध किसी भी कारणवश स्त्री की सहमति के बिना किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा शिशु का जीवित जन्म लेने से रोकने या जन्म पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किया गया किसी प्रकार का कार्य दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है तथा ऐसा अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए प्रावधान किये गये हैं।[13]

(2) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

यह अधिनियम पारित करने के मुख्यतः दो प्रमुख कारण थे। प्रथम गर्भवती महिला एवं शिशु की रक्षा करना तथा द्वितीय परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अन्तर्गत निम्न विशेष परिस्थितियों में पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भ समापन किया जा सकेगा[14] –

1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन गर्भवती स्त्री की सहमति से ही किया जा सकेगा।
2. यदि गर्भवती स्त्री अवयस्क है या मानसिक रोगी है तो ऐसी स्थिति में गर्भ का चिकित्सकीय समापन करने से पूर्व उसके संरक्षक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
3. यदि पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा यह राय दी गयी है कि गर्भ के बने रहने पर गर्भवती स्त्री के जीवन को खतरा हो सकता है या स्त्री का शारीरिक, मानसिक आघात हो सकता है या गंभीर प्रकार से अयोग्य विकलांग शिशु का जन्म होगा।
4. बलात्कार के परिणामस्वरूप स्त्री के गर्भवती होने पर
5. परिवार नियोजन की सफलता

इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में गर्भ का चिकित्सकीय समापन पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा ही किया जा सकेगा।

(3) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994

यह अधिनियम गर्भस्थ शिशु के लिंग की जाँच और कन्या भ्रूण हत्या का पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है। यह अधिनियम उपबंधित करता है कि अनुवांशिक सलाहकार केन्द्र या

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

अनुवांशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग भ्रूण के लिंग चयन के लिए नहीं करेगा।[15]

परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रसव पूर्व भ्रूण की जाँच करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है[16] –

1. गुणसूत्रों की असामान्यता
2. अनुवांशिक शारीरिक बीमारियां
3. हिमोग्लोबिन संबंधी बीमारियां
4. लिंग संबंधी अनुवांशिक बीमारियां
5. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा बनाई गई कोई अन्य असामान्यताएँ

कोई भी व्यक्ति, संगठन, अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक द्वारा प्रसव पूर्व या गर्भधारण पूर्व लिंग जाँच अथवा लिंग चयन संबंधी कोई भी विज्ञापन किसी भी रूप में प्रकाशित, प्रसारित, वितरित करना दण्डनीय अपराध माना गया है।[17]

कोई भी व्यक्ति, जिसमें प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया जुड़ा व्यक्ति भी शामिल है, संबंधित गर्भवती महिला या उसके किसी रिश्तेदार को या अन्य किसी व्यक्ति को शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, अन्य किसी प्रकार से गर्भस्थ भ्रूण के लिंग के बारे में नहीं बतायेगा।[18]

इस अधिनियम में एक केन्द्रीय पर्यवेक्षक मंडल तथा समुचित प्राधिकारी और सलाहकारी समिति[19] की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जिनका कार्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है।

यदि कोई चिकित्सकीय विशेषज्ञ, स्त्री रोग विषेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सकीय व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रथम बार उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक के कारावास या रु. 10000/–(दस हजार) के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा और अनुगामी दोष सिद्ध होने पर वह 5 वर्ष तक के कारावास/50000 (पचास हजार) रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।[20]

समुचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत चिकित्सक के प्रथम बार दोष सिद्ध होने पर राज्य चिकित्सा परिषद से 5 वर्ष तक के लिए उसका पंजीकरण रद्द किया जायेगा और अनुगामी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर चिकित्सक का पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द कर दिया जायेगा।[21]

कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4(2) के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रसव पूर्व लिंग जाँच या प्रसव पूर्व गर्भपात करता है, वह प्रथम अपराध होने पर 3 साल तक का कारावास/50,000 (पचास हजार) रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित होगा।[22]

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अधीन प्रत्येक अपराध –

1. संज्ञेय अपराध
2. अजमानतीय अपराध
3. अक्षमनीय अपराध है।[23]

किसी भी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित शिकायतों पर ही मामले का संज्ञान होगा –

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) या मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान किया जायेगा।
2. समुचित प्राधिकारी द्वारा परिवाद पेश किये जाने पर
3. किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद पेश किये जाने पर जिसने की समुचित प्राधिकारी को 15 दिन का नोटिस दे दिया है

समय–समय पर भारतीय न्यायपालिका ने भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर दिशा–निर्देश जारी किये हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार सक्रिय होकर अल्ट्रासाउन्ड मशीनों के पंजीकरण का कार्य करें। न्यायालय ने इस बारे में असफल रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पद से तुरन्त हटा देने की सिफारिश की है।[24]

विभिन्न कानूनों के बावजूद छोटे–बड़े शहरों, गांवों में अमानवीय स्तर पर फलफूल रहा लिंग परीक्षण व लिंग चयनित गर्भपात का व्यवसाय मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। अतः भारत में शिशु लिंगानुपात और महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाहियाँ कितनी लचर हैं।

सन्दर्भ सूची–

1. दिलायर्स क्लैस्टिक, 2 नवंबर 2001, पृ. 5।
2. जार्ज साबू, फीमेल फिटीसाइड इन इण्डिया, हेल्थ सेक्शन, दिसम्बर 2000, पृ. 25
3. टाइम्स ऑफ इण्डिया, जून 1982
4. डीकैन हैराल्ड, शनिवार, 2 जून 2001, पृ. 4
5. दैनिक भास्कर, 30 सितम्बर 2012
6. राजस्थान पत्रिका, 25 सितंबर, 2010
7. दैनिक भास्कर, 26 मार्च 2012
8. राजस्थान पत्रिका, 22 अप्रेल 2011
9. राजस्थान पत्रिका, 20 अप्रेल 2011
10. राजस्थान पत्रिका, 25 अक्टूबर 2012
11. राष्ट्रीय सहारा, 26 जनवरी 2009
12. राजस्थान पत्रिका, 4 सितम्बर 2011

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

13. राजस्थान पत्रिका, 7 अप्रेल 2011
14. PC & PNDT Act 1994 Sec. 6
15. दैनिक भास्कर, 2 अप्रेल 2012
16. राजस्थान पत्रिका, 7 अप्रेल 2010
17. राजस्थान पत्रिका, 20 अक्टूबर 2012
18. राजस्थान पत्रिका, 10 दिसम्बर 2011
19. दैनिक भास्कर, 2 अप्रेल 2012
20. दैनिक भास्कर, 27 दिसम्बर 2011
21. यत्पांय ब्रह्मात्याया द्विगुण गर्भपातने। प्रायष्चितं न तस्यास्ति तस्यास्त्माओं विधियते – मानस 4120
22. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 312, 313
23. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 315, 316
24. PC & PNDT Act 1994 Sec. 4(2)

© RRIJM 2015, All Rights Reserved